14

YPUQ7H

स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली

पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान द्वारा शासन–प्रशासन को चलाने के लिए कौन–कौन से ढाँचे बनाए गए हैं? ये ढाँचे क्या–क्या कार्य करते हैं व इनके आपसी संबंध किस तरह के हैं? इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति ज़मीनी स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी है? देश की आर्थिक और विदेश नीति को किस तरह बनाया गया और चलाया गया? देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ क्या रही हैं? सरकारों ने उन्हें पूरा करने के लिए क्या–क्या प्रयास किए? हम इसका विश्लेषण करेंगे।

संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील व जीवंत बनाना, देश का राजनैतिक रूप में एकीकरण करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढाँचों को निर्मित व मज़बूत करना था जिनके द्वारा आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढाँचों को बहुत कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नवस्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। अब हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे।

YQ2KAG

14.1 पहला आम चुनाव 1952 – भारत के नए संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती था। हालाँकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था। इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुष को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था और सुदूर अंचलों में भी

चित्र 14.1 : चुनाव केन्द्र में हर उम्मीदवार के लिए अलग पेटी। अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी को खोजता एक मतदाता

मतदान केन्द्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था।

देश के 85 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचानकर सही तरीके से मतदान कर सकते थे? चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया – मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा रखा गया था और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था।

पहला आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को क्या–क्या तैयारियाँ करनी पड़ी होगी? शिक्षक की सहायता से आपस में चर्चा करें।

पहला आम चुनाव आज के चुनावों से किस तरह से अलग था?

पहला आम चुनाव, खास बातें :–

- पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला।
- सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की।
- सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही सम्पन्न हुए।
- इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए जिनमें 85 प्रतिशत निरक्षर थे।
- लगभग 2,24000 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक मतदान केन्द्र बनाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था।

चुनावों की व्यवस्थाएँ :–

- जिन इलाकों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केन्द्र बनाए गए थे। इन केन्द्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे।
- अजमेर के एक मतदान केन्द्र पर पूरी तरह से ढंके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी जोकि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी।
- कुछ गाँवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। असम के एक आदिवासी गाँव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गाँव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केन्द्र तक पहुँचे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते–गाते हुए बिताई। सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केन्द्र की तरफ बढ़े।
- चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं। एक गाँव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक–एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया। वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा, गाँव के सारे लोग उसी को वोट देंगे।

किसी गाँव के सारे लोगों का किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सही है या गलत। चर्चा कीजिए।

क्या आपके आसपास चुनावों के समय ऐसी घटनाएँ होती है जैसी पहले चुनाव के वक्त हुई थी। चर्चा कीजिए।

कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। मतदाता सूची में से 46 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। महिला मतदाताओं में से लगभग 40 प्रतिशत ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य था। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले काँग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45 प्रतिशत मतदाताओं ने काँग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा में लगभग 74 प्रतिशत सदस्य काँग्रेस पार्टी के ही थे। पं. जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनीं लेकिन गैर काँग्रेस दलों ने भी काफी जनसमर्थन पाया – इनमें कम्यूनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती गईं।

प्रथम लोकसभा चुनाव में गैर काँग्रेस दलों को कितना प्रतिशत वोट मिला?

लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्य गैर काँग्रेस दलों के थे?

14.2 एक दल का वर्चस्व

स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम तीन आम चुनावों (1952, 1957 और 1962) में काँग्रेस का ही दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10 प्रतिशत से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। काँग्रेस ने लगातार 70 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें जीतीं जबकि उन्होंने 45 प्रतिशत मत हासिल किए थे। काँग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। हालाँकि इस दौरान केन्द्र और ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनैतिक मुकाबला काँग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूती मिली।

दूसरे राजनैतिक दल चुनाव तो लड़ते थे लेकिन काँग्रेस को उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। धीरे–धीरे दूसरे राजनैतिक दलों ने अपने आप को मज़बूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही काँग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना की थी यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि 20–25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पनप पाई।

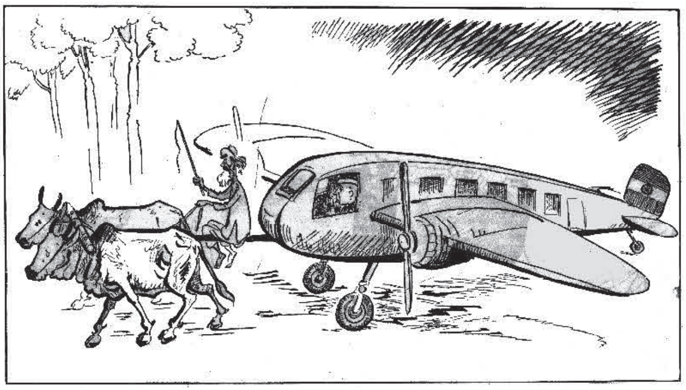

चित्र 14.2 : चुनाव लड़ने चली कांग्रेस पार्टी। उन दिनों कांग्रेस का चुनाव चिह्न बैलों का जोड़ा था। इस कार्टून में क्या कहा जा रहा है? (शंकर्स वीकली, 15 जुलाई 1951)

ऐसी कौन–सी परिस्थितियाँ रही होंगी जिनकी वजह से 1947 से 1967 तक भारत में एक दल का दबदबा रहा?

आपके विचार में लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का क्या महत्व है?

14.2.1 ज़मींदारी प्रथा का खात्मा 1949–56

अँग्रेज़ शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में ज़मींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग थे जैसे– ज़मींदार, मालगुजार, गौंटिया, जागीरदार, आदि। वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे उन्हें ज़मीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें ज़मीन से बेदखल करते थे। पूरे गाँव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समानान्तर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था ज़मींदारी का खात्मा। लगभग हर राज्य में ज़मींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार ज़मींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। 1956 तक पूरे देश में ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और ज़मींदारों के ज़मीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे मगर ज़मींदारों की ज़मीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकण्डे अपनाकर ज़मीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी ज़मीन से वंचित रहे।

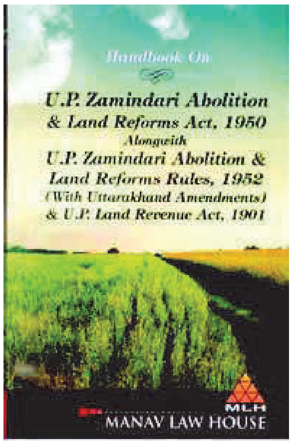

चित्र 14.3 : सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन कानून पारित हुआ था।

स्वतंत्रता के समय माना गया था कि ज़मींदारी प्रथा का खात्मा सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे समाज में क्या–क्या बदलाव हुए?

14.2.2 हिन्दू कोड बिल 1952–56

पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिन्दू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमज़ोर करने तथा देश भर में हिन्दुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिन्दू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभायी थी। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे मगर रूढ़ीवादी हिन्दुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। इससे दुखी होकर डॉ. अंबेडकर ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। राजनैतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करनेवाले इस बिल के बारे में और समझें।

अँग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध (चोरी, हत्या आदि) संबंधित समान कानून लागू हुआ था जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं लेकिन जहाँ तक शादी, परिवार, संपत्ति, बच्चे गोद लेने, जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इन विषयों पर अलग–अलग मान्यताएँ थीं। अक्सर एक ही धर्म में अलग–अलग कानूनी व्यवस्थाएँ भी थीं। सामान्यतया सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक

चित्र 14.4 : 1951 में छपा एक कार्टून : यह तत्कालीन पुरुषों की मनोभावना व डर को दर्शाता है।

और पुरुष प्रधान थे और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे। हिन्दू समाज में उन्नीसवीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जातिप्रथा के विरूद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएँगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिन्दू कोड बिल तैयार किया गया था। हिन्दुओं के बीच प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिन्दू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। इनमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नानुसार थे :–

1. अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नि और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था।
2. पति या पत्नि के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था।
3. पति व पत्नि दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार।
4. अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी।
5. किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध।

परंपरावादी हिन्दुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध यह कहते हुए किया कि यह हिन्दू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर देगा। इनमें न केवल हिन्दू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे बल्कि काँग्रेस के शीर्षस्थ नेता जैसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी शामिल थे। इसके विरूद्ध सुधारवादी हिन्दुओं व महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता है। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और काँग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमज़ोर हुआ। कानून में भी कई बदलाव किए गए जिस कारण उनका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह चार अलग–अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था।

इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार–बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिन्दुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं? डॉ. अंबेडकर और पं. नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिन्तित थे। ऐसे में उनपर यह नया कानून लागू करने से उनकी आशंकाओं को बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निदेशक तत्व में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान वैयक्तिक कानून लागू किया जाए।

अगर ये कानून पारित नहीं होते तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता?
जातिवाद को तोड़ने में अन्तर्जातीय विवाहों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस कानून से जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है?
क्या आपको लगता है कि आपके परिवार की संपत्ति में भाई व बहनों को समान हिस्से मिलनी चाहिए?

14.2.3 राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग

YQ4L9J

भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी, यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे, यह प्रश्न बना हुआ था। अँग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य को कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था जैसे– मद्रास, जिसके अन्तर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भाग आते थे और मुम्बई जिसके अन्दर मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएँ बोली जाती थी। इसके अलावा कई राजाओं की रियासतें थीं। यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले रहते थे। उदाहरण के लिए हैदराबाद के निज़ाम के राज्य में उर्दू, तेलुगू, मराठी, कन्नड़ भाषाएँ बोली जाती थीं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख माँग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले, जो कई राज्यों में बंटे हुए थे, वे एक राज्य बनाना चाहते थे। 1917 से ही काँग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर कर दी थी कि आज़ादी मिलने के बाद भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। काँग्रेस की अपनी क्षेत्रीय इकाइयाँ भी भाषाई आधार पर ही गठित हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय काँग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख चिन्ता देश को एक बनाये रखना था क्योंकि उस समय देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुज़र रहा था। उनको यह लगा कि इस समय देश में एकता की भावना की ज़रूरत है न कि भाषा के आधार पर आपसी वैमनस्य। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए टालना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विभाजनकारी ताकतें मजबूत होगी और एक–एक करके देश कई क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयों में बँट जाएगा जिनके बीच में तालमेल बनाना काफी मुश्किल काम होगा।

संविधान सभा ने 1948 में भाषायी राज्य पर एस.के. दर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। दर आयोग ने इस समय इस माँग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा और प्रशासन को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था।
लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलने लगे। 1952 में तेलुगू भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आन्ध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगातार 58 दिनों तक अपनी मांग पर डटे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलुगू भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार झुक गई और उसने अलग आन्ध्र प्रदेश की माँग को मान लिया। अक्टूबर 1953 में अलग आन्ध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेष इलाका तमिल भाषी राज्य बनाया गया। एक अलग राज्य के गठन के रूप में आन्ध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को ज़्यादा पुरजोर तरीके से अपनी माँग को पेश करने के लिए उकसाया।

चित्र 14.5 : पोट्टी श्रीरामुलु

भाषा के आधार पर राज्य बनाने में कई कठिनाइयाँ थीं। किसी भाषा का

क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और दूसरे का कहाँ से शुरू होता है यह तय करना आसान नहीं था। हर क्षेत्र में कई भाषाएँ बोली जाती थी। किसे राज्य बनाने का आधार बनाएँ और उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या स्थान हो? मद्रास (आज का चेन्नई) और बंबई (आज का मुंबई) जैसे शहर थे जिसमें कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और दूर दराज के उद्योगपतियों ने निवेश किया था। इन महानगरों को किस राज्य का मानें या फिर क्या उन्हें स्वतंत्र नगर–राज्य बनाना चाहिए? बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो लोग हिन्दी बोलते थे, मगर वास्तव में लोग छत्तीसगढी, बुन्देली, भोजपुरी, अवधी, हरियाण्वी, मारवाड़ी आदि भाषाएँ बोलते थे। क्या इन्हें अलग राज्य बनना चाहिए? आदिवासी अंचल जैसे झारखण्ड का क्या करें? ये प्रश्न बहुत उलझा देने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे।

सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा जिसे इस तरह की माँगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिश सौंपनी थी। आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी और उनको मोटे तौर पर मान लिया

मानचित्र 14.1 : 1961 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का नक्शा। वर्तमान भारत के राज्यों के मानचित्र से तुलना करके बताएँ कि किन राज्यों का नाम बदला है और कौन–कौन से नये राज्य बने हैं?

गया और उनके आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया। काँग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिन्ताओं के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृतियों को विकसित करने का मौका पाया।

कल्पना कीजिए अगर भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत का राजनैतिक मानचित्र कैसा होता?

क्या आप व्यक्तिगत रूप से भाषायी राज्य के विचार से सहमत हैं क्यों? साथियों के साथ चर्चा करके उनके विचारों का अंदाज़ा लगाइए।

क्या यह मुमकिन है कि किसी इलाके में सिर्फ एक ही भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर भाषाई अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद होंगे तब क्या भाषाई राज्य में उनकी उपेक्षा नहीं होगी?

क्या भाषाई राज्य का विचार आदिवासी भाषाओं को नज़रअंदाज नहीं करता है? इस बारे में आपकी क्या राय है?

2000 के बाद भारत में कई नए राज्य गठित हुए। वे किन आधारों पर बने, शिक्षक की मदद से पता करें।

14.2.4 योजनाबद्ध विकास : नए संविधान के लागू होने के दो महीने के भीतर ही योजना आयोग का गठन किया गया जिसे भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना था। पं. जवाहरलाल नेहरू योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे। वे मानते थे कि केन्द्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जिसमें शासकीय और निजी क्षेत्रों को साथ मिलकर काम करना था। पहली पंचवर्षीय योजना (1951–1956) में कृषि के विकास पर ज़ोर दिया गया और इसके लिए विशाल बाँधों व नहरों के निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया गया। किन्तु कृषि का विकास अपेक्षा से कम रहा जिसके कई कारण थे। भूमि सुधार की धीमी गति, दूसरा महत्वपूर्ण उद्योगों का न होना जिनसे खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद आदि मिले और ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार मिले इसके दो मुख्य कारण थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–1961) में यह माना गया कि देश की प्रथम प्राथमिकता औद्योगीकरण हो जिसमें शासन की विशेष भूमिका हो। भारी उद्योग, जैसे– लोहा–इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास शासन द्वारा हो। दूसरी तरफ मंझोले तथा छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई थी। योजनाकारों का मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोज़गार का भार कम होगा, लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे, औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगीकरण के लिए ज़रूरी बुनियाद तो बनी मगर अपेक्षानुसार देश में गरीबी दूर नहीं हो पाई। इस कारण 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। इन बातों के बारे में आप अर्थशास्त्र के अध्यायों में और विस्तार से पढ़ेंगे।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में शासन ने न केवल एक लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत राज्य का निर्माण किया बल्कि साथ–साथ सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का बीड़ा भी उठाया। इन प्रयासों ने हमारे देश के राजनैतिक तथा शासकीय ढाँचों पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

क्या आपको लगता है कि राज्य का समाज में समानता और आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप करना उचित है? इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता? इस पर चर्चा करें।

14.2.5 विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है। भारत की विदेश नीति भी उसकी ज़रूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनैतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं? दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश खासकर एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे। भारत चाहता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हों और एक–दूसरे को सहारा दें।

चित्र 14.6 : प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू अन्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के साथ?

लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनैतिक सैन्य गुटों में बँट रही थी। इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था तो दूसरे हिस्से की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। उस समय की परिस्थिति यह माँग कर रही थी कि भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मज़बूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों के सहयोग की ज़रूरत थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता। भारतीय संविधान में शांति और सहअस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। यदि भारत भी किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। भारत के लिए यह भी ज़रूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनैतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करे। भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई और आगे इस नीति पर अमल भी किया। भारत ने उस वक्त के युगोस्लाविया (मार्शल टीटो), इंडोनेशिया (सुकर्णो) और मिस्र (मो. नासिर) के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष संगठन खड़ा किया। मार्शल टीटो, सुकर्णो, मो. नासिर और पं. नेहरू को ही इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में देखा जाता था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में नवस्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिकी और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा द्विध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय बनाना था। गुटनिरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण–दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित है।

गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बना। इसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन। चूँकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थन प्राप्त था भारत रूस के करीब होकर अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहता था। रूस से भारत को न केवल राजनैतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगीकरण नीति में भी सहायता मिली। सोवियत संघ की ही सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित हो पाया। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ।

भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिन्दु थे – 1. एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का सम्मान, 2. एक–दूसरे पर आक्रमण न करना, 3. एक–दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना 4. बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और 5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया।

चित्र 14.7 : 1967 के आम चुनाव पर जारी डाक टिकट

इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध तनावपूर्ण थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ। आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है।

भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया। दोनों देशों की सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में भारत ने गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। यह नीति प्रायः भारत को दो महागुटों में बँटे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने तथा अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा।

1947 से 1963 तक पं. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया। उनके बाद इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। 1965 से 1977 तक वे लगातार इस पद पर बनी रहीं।

14.2.6 क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार

1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनैतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। इन रूझानों की शुरुआत 1967 के चुनावों से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों के लाभ मिलने लगे थे। उन्होंने संगठित होकर राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। इन चुनावों में उन जातियों या समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी थी।

इन चुनावों में हालाँकि काँग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन आज़ादी के बाद के चुनावों में यह काँग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। काँग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। भारत के चुनावी राजनैतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनैतिक बदलाव था। इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं तथा देश बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा

है। तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाईं जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकारें बनाईं। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक नहीं चल सकीं तथा दल–बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से ये सरकारें धीरे–धीरे गिरने लगीं।

इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की माँग पेश की गई। यह माँग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही पहुँच पाए हैं। 1969 में असम के जनजातीय ज़िलों के खासी, जयन्तिया और गारो कबीलों के इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। हालाँकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था। 1968–69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की माँग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह माँग की गई कि बंबई (मुंबई) केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी माँगें उठाई जा रही थी।

14.2.7 राजभाषा का सवाल और हिन्दी विरोधी आन्दोलन :–

संविधान सभा में लम्बी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अँग्रेज़ी, हिन्दी के स्थान पर राजभाषा के (प्रशासन कार्य) रूप में प्रयोग होती रहेगी। इसके अनुसार जब 1965 में हिन्दी को राजभाषा बनाया जा रहा था, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया। आन्दोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाया और इस दौरान धरना, प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए। पुलिस और आन्दोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं और 70 से अधिक लोग मारे गए। काँग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बँट गई और तमिलनाडु के दो केन्द्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उन पर हिन्दी थोपी नहीं जाएगी।

चित्र 14.8 : रेल के डिब्बों पर हिन्दी विरोधी नारे लिखे गए।

इसके बाद भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में काँग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए। इसमें हिन्दी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नये प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राजभाषा का चुनाव खुद कर सकती हैं। यह भाषा हिन्दी, अँग्रेज़ी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है।

14.3 भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनैतिक घटनाएँ

14.3.1 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स की समाप्ति – आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं आई और कृषि अभी भी उपेक्षित रहा। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1967 के चुनावों के बाद काँग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अन्दर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियाँ लागू करना चाहती थीं और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थीं। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजा–महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थीं। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थीं ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जाए। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई जिसे हरित क्रांति कहा गया।

YQBGC4

14.3.2 काँग्रेस का विभाजन – इस दौर में काँग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक ओर युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गाँधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया लेकिन काँग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में काँग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गाँधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी.वी. गिरी का समर्थन किया। उन्होंने काँग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। बहुत से काँग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वी.वी. गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद काँग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली काँग्रेस तथा के. कामराज के नेतृत्व वाली काँग्रेस। इसी क्रम में इंदिरा गाँधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भारी जनसमर्थन मिला। कामराज काँग्रेस को उस तरह का जनसमर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा काँग्रेस ही काँग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई।

काँग्रेस के विभाजन के पीछे किस तरह के कारण ज़िम्मेदार रहे होंगे? चर्चा करें।

14.3.3 बांग्लादेश युद्ध – 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान बहुसंख्यक थे लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहाँ बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया।

चित्र 14.9 : बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान

इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच गृह युद्ध आरम्भ हो गया जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश – बांग्लादेश बना।

14.3.4 आपातकाल – भारत के संविधान में यह प्रावधान है यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का आशय यह है कि सरकार ज़रूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियाँ भी सीमित कर सकती है। मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है।

देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था। इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद की अनेक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार थीं। कुछ समस्याएँ दीर्घ कालीन बदलाव के कारण थीं जैसे – सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना। कुछ कारण बाहरी थे, जैसे – 1973 में अरब–इज़रायल युद्ध के चलते पेट्रोल–डीज़ल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेज़ी से बढ़ी। 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनावों में सरकार ने लोकलुभावन वायदे किए थे मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मज़दूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूरे देश के रेल्वे मज़दूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए जिसे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा। दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न माँगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गाँधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों–रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों व विचारों के अलावा और कुछ छापने पर प्रतिबंध (सेंसरशिप) लगाया गया। सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए।

चित्र 14.10 श्री जयप्रकाश नारायण

सरकार का मानना था कि आन्दोलनकारी देश को अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल ज़रूरी हो गया था। इसके विपरीत विरोधी दलों और अधिकांश स्वतंत्र चिन्तकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं था और एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। 1977 के चुनावों में जनता द्वारा काँग्रेस की

नीतियों को नकारना और पहली बार केन्द्र में गैर काँग्रेसी दलों को बहुमत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी।

आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एक–जुट किया। वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर 'जनता दल' बनाया जिसने 1977 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए जिनमें फिर से काँग्रेस को बहुमत मिल गया और इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं।

आपके विचार में आपातकाल लगाया जाना उचित था या नहीं? शिक्षक की सहायता से चर्चा करें।

आपातकाल लगाए जाने का आम जीवन और विरोधी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा?

14.4 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेन्द्रीकरण

1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केन्द्रीकरण हो रहा था। केन्द्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी। दूसरी ओर काँग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गाँधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे। जम्मू–कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी। कुछ राज्यों में तो केन्द्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढ़ाँचे के अन्दर चुनौती दी गई मगर कुछ राज्यों में संविधान और भारत की एकता को ही चुनौती दी गई। इस विषम परिस्थिति का हल किस तरह निकला हम दो उदाहरणों से समझेंगे।

14.4.1 पंजाब में आन्दोलन– पंजाब के बहुसंख्यक लोग सिक्ख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिक्खों को लग रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है। पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिक्ख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे मगर उन्हें लग रहा था कि राजनैतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिक्खों का एक धार्मिक और राजनैतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया।

पंजाब आन्दोलन की मुख्य माँगे निम्नलिखित थीं –

1. संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाएँ।
2. चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए।
3. सेना में सिक्खों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए।
4. पंजाब को भाखड़ा नांगल बाँध से अधिक पानी दिया जाए।

इन माँगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में 'आनन्दपुर साहब प्रस्ताव' पारित किया। इसमें मुख्य रूप से पहली दो माँगों को ज़ोरदार ढंग से उठाया गया और साथ ही सिक्खों के वर्चस्व स्थापित करने और सिक्ख राष्ट्र की बात हुई। अकाली दल ने इन माँगों के समर्थन में 1978 के बाद समय–समय पर धरने, प्रदर्शन तथा रेल रोको आन्दोलन जैसी गतिविधियाँ शुरू कीं।

एक सिक्ख धर्मगुरू जरनैलसिंह भिंडरावाला ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया। 1978 से धीरे–धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू की तथा स्वर्ण मंदिर के एक बड़े हिस्से को कब्ज़े में लेकर किले बंदी कर ली। उसने स्वतंत्र खालिस्तान की माँग की और उसके समर्थन में बहुत सारे युवा जुट

गए। पंजाब में आए दिन उदारवादी सिक्खों और अन्य धर्म के लोगों पर हमले होने लगे। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। शुरू में सरकार का रवैया नरम था। लेकिन जून 1984 में इंदिरा गाँधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर के किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाए। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए। इस कार्यवाही को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नाम दिया गया। 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' से सिक्खों की भावनाएँ गंभीर रूप से आहत हुईं क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया। इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिक्ख अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गाँधी की हत्या थी। इंदिरा गाँधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिक्ख विरोधी दंगे हुए जिनमें हज़ारों लोगों की जानें गईं।

इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में काँग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। राजीव गाँधी ने पंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया जिसे 'राजीव–लोंगोवाल समझौता' के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पंजाब में चुनाव कराए गए जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बना पाई। इसके बाद धीरे–धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया।

14.4.2 असम में आन्दोलन– असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की माँग उठ रही थी। असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। असम के चाय बगानों पर नियंत्रण कलकत्ता (कोलकाता) की कंपनियों का था। असम से खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों के शोधक कारखानों में उपयोग किया जाता था मगर उससे असम के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलता था। असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। अँग्रेजी शासन के समय से ही बांग्लाभाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। असमिया भाषी लोग यह महसूस करते थे कि बांग्लाभाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और गंभीर बना दिया। 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आन्दोलन में बदल गई। 'अखिल असम विद्यार्थी संघ' (AASU) ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। विदेशी लोगों को बाहर निकालने की माँग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए। सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकीय पहलुओं के अलावा इस आन्दोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। असम आन्दोलन की मुख्य माँगे यह थीं – विदेशी

चित्र 3.10: राजीव गाँधी असम आंदोलनकारियों के साथ

लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए ही किया जाए।

एक प्रमुख माँग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। इन माँगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भी बाँट दिया क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केन्द्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। आन्दोलनकारी छात्रों तथा केन्द्र सरकार के बीच तीन साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा मगर मताधिकार नहीं और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद हुए चुनावों में असम गण परिषद् जो आसु (AASU) से ही निकला हुआ था, ने भारी विजय प्राप्त की।

इसी प्रकार आगे कई नए राज्य बनाने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आन्दोलन हुए। मिज़ोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की माँगों के नतीजे हैं।

14.4.3 पंचायती राज और सत्ता का विकेन्द्रीकरण– राजीव गाँधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। उनका कहना था कि गरीबों के लिए आबंटित रुपये में से पंद्रह पैसे से भी कम उन तक पहुँच पाता है। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेन्द्रीकरण हो ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बनें और उसका लाभ उठा पाए। इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएँ स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएँगी।

क्या आपको लगता है कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए वे केवल क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनाने के उद्देश्य से या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्यों से हुई?

1950 के बाद भारत में सत्ता का केन्द्रीकरण क्यों हुआ होगा?

क्या आप राजीव गाँधी के इस कथन से सहमत हैं कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुँचता है?

क्या पंचायती राज के लागू होने से वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और क्या गरीबों तक अधिक योजना का लाभ पहुँच रहा है?

14.5 राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें

पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ रही थीं और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। इसी समय देशभर में कई राजनैतिक पार्टियाँ बनीं जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। मध्यम कृषक जातियाँ जैसे, जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। इनमें से कई ऐसी जतियाँ भी थीं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। वे आरक्षण माँगने लगे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी

जातियों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनैतिक उभार में मदद मिली। जातीय व क्षेत्रीय पहचानों के साथ–साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी।

इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनैतिक पार्टियाँ विकसित हुईं और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगीं। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगीं। 1989 के आम चुनावों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रहीं और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जहाँ शुरुआती चार दशकों तक भारत की केन्द्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द–गिर्द घूम रही थी, 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए हैं। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत–सी अस्थाई गठबंधन सरकारें देखीं पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया है। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया है।

1947 में कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत जैसे देश में सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र चल नहीं सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं टिक सकता है। यह छोटे–छोटे राज्यों में बँट जाएगा या इसमें छोटे क्षेत्रों के हितों की उपेक्षा की जाएगी। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1952 में कई लोगों का विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि उनका विश्वास किस हद तक सही या गलत था?

1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते हैं और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है?

आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियाँ हैं?

YQDHB7

अभ्यास

प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :–

1. स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव ....में सम्पन्न हुआ।
2. 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में.............................दल को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ।
3. .... में ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया।
4. जातिवाद को शिथिल करने एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए......हिन्दू.... .... कोड बिल सर्वप्रथम .... ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।
5. राज्य पुनर्गठन के लिए अनशन सत्याग्रह...........................ने तेलुगू भाषा के लिए किया।
6. भारत में राजभाषाओं की ..संख्या...........................है।
7. वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को.....................क्रांति कहा गया।
8. राजा–महाराजाओं का अधिकार, पद व सुविधाओं की या विशेषाधिकारों की समाप्ति को.............की समाप्ति कहा गया।
9. आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल ....से ....तक रहा।
10. आंतकियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्यवाही ऑपरेशन.........................कहा गया।

प्रश्न 2 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए:–

01. ''आबंटित रुपये में से 15 पैसे ही जनता तक पहुँचते हैं।'' इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गाँधी सरकार ने किया –
    1. पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया।
    2. पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण व्यवस्था की गई।
    3. लोंगोवाल – राजीव समझौता किया।
    4. बांग्लादेशी लोगों की नागरिकता समाप्ति व देश वापसी का समझौता।

02. पंजाब आन्दोलन की मुख्य माँग नहीं थी –
    1. संविधान संशोधन कर राज्यों के अधिकारों में वृद्धि।
    2. चण्डीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो, खालिस्तान की माँग।
    3. सिक्खों को भारतीय सेना में अधिक भर्ती की जाए।
    4. भाखड़ा–नांगल बाँध से पंजाब को अधिक पानी दिया जाए।

03. असम के आन्दोलन की मुख्य माँग थी –
    1. विदेशी नागरिकों (बांग्लादेशी) को बाहर निकालना।
    2. स्थानीय जन को रोज़गार में प्राथमिकता।

3. संसाधनों का उपयोग असम में उद्योग व रोजगार निर्माण में करना।

4. भाषा के आधार पर असम का निर्माण।

04. हिन्दी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई?

1. महाराष्ट्र 2. तमिलनाडु

3. असम 4. आंध्र प्रदेश

05. पंचशील की नीति में नहीं है –

1. अनाक्रमण 2. अहस्तक्षेप

3. शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व 4. गुट निरपेक्षता

06. गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था –

1. इन्डोनेशिया 2. मिश्र

3. युगोस्लाविया 4. चीन

07. योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था है–

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था 2. मिश्रित अर्थव्यवस्था

3. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था 4. मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था

08. गुट निरपेक्ष की नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना ?

1. अमेरिका 2. सोवियत संघ

3. चीन 4. पाकिस्तान

09. भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन–सा नवाचार किया गया?

1. प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई।

2. प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिहृन और पेटी रखी गई।

3. जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया।

4. जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई।

10. हिन्दू कोड बिल के विरोध का मुख्य कारण था –

1. हिन्दू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका।

2. स्त्री–पुरुष समानता की स्थापना।

3. जातिवाद की व्यवस्था समाप्ति की आशंका।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

प्रश्न 3 इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए :–

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र क्यों दिया?

2. हिन्दू कोड बिल स्त्री–पुरूष समानता के कौन–कौन से अवसर देता है?

3. समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया? नेहरू व अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए।
4. भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया? कारण लिखिए।
5. भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या–क्या सकारात्मक प्रभाव हुए ?
6. योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई?
7. प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या–क्या थे ?
8. संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन, योजना आयोग व विदेश नीति के आधारों पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान को स्पष्ट कीजिए।
9. पं. जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन–कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए?
10. आपको पंजाब आंदोलन और असम आंदोलनों में क्या समानताएँ और असमानताएँ दिखाई देती हैं?
11. संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया? कारण बताइए।
12. इंदिरा गाँधी के समय काँग्रेस का विभाजन क्यों हुआ?
13. आपातकाल क्या है? 1975–77 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या–क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए?
14. राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए?

परियोजना कार्य

1. पता कीजिए कि आपातकाल के दौरान संविधान में कौन–कौन से संशोधन किए गए और उनमें से कौन–से अपातकाल के बाद खारिज कर दिए गए। इन प्रवधानों के आधार पर एक पोस्टर प्रदर्शनी बनाइए।
2. 1990 से 2000 के बीच कौन–कौन सी गठबंधन सरकारें बनीं और उनकी मुख्य उपलब्धि व कमियाँ क्या थीं – एक पोस्टर बनाकर प्रदर्शनी लगाएँ।